फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर(भीलवाडा)

आरामी पुत्री हेमा गाडरी नि. रोपा वगैराह

बनाम

रामपाल उर्फ रामलाल पुत्र धूकल गाडरी नि. अखेपुरा का झुपडा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं.367/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
17.05.23	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/सयुक्त खाते की भूमि **ग्राम रोपा II प. ह. रोपा II तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2286 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, आ.न. 2289 रकबा 0.2995 हैक्टेयर, आ.न. 2297 रकबा 0.0486 हैक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम रोपा II प. ह. रोपा II तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2286 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, आ.न. 2289 रकबा 0.2995 हैक्टेयर, आ.न. 2297 रकबा 0.0486 हैक्टेयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 17.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी,** **जहाजपुर (भीलवाडा)**	

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक / रीडर / 2023 / 357 / 2023 दिनांक :– 17.05.2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. स. 357 /23 अनवान आरामी, न्याली, मनभरी, सायरी पुत्री हेमा गाडरी, भज्जा पिता हेमा, रूपा पत्नि हेमा गाडरी नि. रोपां बनाम रामपाल उर्फ रामलाल पुत्र धूकल गाडरी, जीत पिता दयाराम गाडरी, नन्दा पिता कजोड गाडरी, भोजा पिता कजोड गाडरी नि. अखेराम जी का खेडा, दिलीप पिता महावीर प्रसाद सनाढय, भैरू, गोपाल पिता छीतर गाडरी नि. अखेराम जी काखेडा, दुर्गा पिता नन्दा गाडरी, अशोक, ज्ञानचंद, वीरसेन पिता गणपत महाजन, नन्दा, शंकर पिता उगमा गाडरी, भागचन्द पिता अणदीलाल महाजन, राजेन्द्र पिता रतन महाजन, हरनाथ पिता बालू धाकड, गोपाल पिता बालू धाकड, जगदीश पिता हरजी धाकड, बंशी पिता गंगाराम धाकड, शांति पिता राधेश्याम आचार्य, जीतू पिता दयाराम गाडरी, मुकेश पिता नाथू गाडरी, रामनाथ पिता उंकार गाडरी, लक्ष्मण पिता मोती गाडरी नि. अखेराम की का झुपडा वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम रोपा II प. ह. रोपा II तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2286 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, आ.न. 2289 रकबा 0. 2995 हैक्टेयर, आ.न. 2297 रकबा 0.0486 हैक्टेयर** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)